न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 4454 / 2005 / टोंक

1– रामभजन पुत्र कजोड़
2– हरजी पुत्र कजोड़
3– गेन्दी पुत्री कजोड़
4– रामश्री बेवा कजोड़
समस्त जाति प्रजापति (कुम्हार) निवासी रसूलपुरा, तहसील उनियारा, जिला टोंक।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, टोंक।
2– तहसीलदार, उनियारा (अलीगढ़) जिला टोंक।

..... प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थित :
श्री पवन सिंह चौहान, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री शिशिर विजयवर्गीय, उप राजकीय अभिभाषक

दिनांकः– 24–12–2025

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा अपील संख्या 32 / 2004 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–8–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 17–11–1978 को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 125 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 128 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम रसूलपुरा तहसील उनियारा पर कजोड़ पुत्र शंकर (अपीलार्थीगण के पिता / पति) का पुराना कब्जा काश्त होने व

भूमिहीन काश्तकार होने के कारण नियमित की गई थी। उक्त आराजीयात का नियमन किये जाने के पश्चात उसका पट्टा कजोड़ के नाम से दिया गया। उक्त नियमन की आज्ञा होने के पश्चात ही अलीगढ़ तहसील का सेटलमेंट का कार्य प्रारम्भ हो गया था, जिसके कारण संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा अमल दरामद नहीं किया गया। नियमित की गई भूमि का अमल दरामद किये जाने हेतु ए.एस.ओ अलीगढ़ ने उक्त आराजीयात का नामान्तकरण गैर खातेदारी का कजोड़ के नाम से स्वीकृत किया है। उक्त नामान्तकरण स्वीकृत होने के पश्चात सेटलमेंट के कर्मचारी व अधिकारियों को विवादग्रस्त आराजीयात का पर्चा कजोड़ के नाम से तैयार कर जारी करना चाहिए था, किन्तु किन्हीं कारणों की वजह से सेटलमेंट के कर्मचारियों ने संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में कजोड़ का गैर खातेदारी का इन्द्राज नहीं किया और ना ही वादग्रस्त आराजियात का पर्चा कजोड़ को ही दिया, जिससे अपीलार्थीगण के पिता/पति वादी कजोड़ ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 89 बाबत् खातेदारी घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उनियारा के न्यायालय में दिनांक 15–3–1988 को पेश किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 14–11–1990 द्वारा वाद निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध कजोड़ ने अपील विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, टोंक के समक्ष पेश की जो उनके निर्णय दिनांक 29–11–1997 द्वारा स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। लेकिन इसकी पालना में विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30–10–2002 द्वारा पुनः निरस्त कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने प्रथम अपील विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, टोंक के समक्ष पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–8–2005 द्वारा निरस्त की दी गयी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वादग्रस्त आराजी का कजोड़ को आवंटन (नियमन) दिनांक 17–11–1978 को किया गया तथा कजोड़ के हक में गैर खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 08–2–1979 स्वीकृत किया गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में वादग्रस्त आराजी का कजोड़ को आवंटन होना एवं नामान्तकरण स्वीकृत होना माना है, इसके बावजूद अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील निरस्त करने में कानूनी त्रुटि की है। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में नक्शा ट्रेस व मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया, जबकि अपीलार्थीगण ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष नक्शा ट्रेस पेश कर दिया था, अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में वादीगण द्वारा नक्शा ट्रेस

प्रस्तुत किया गया अंकित किया है। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय ने बिना पत्रावली का अवलोकन किये ही निर्णय पारित करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रदर्श 4 नामान्तकरण संख्या 25 उपलब्ध था जिसके द्वारा कजोड़ के हक में गैर खातेदारी का नामान्तकरण स्वीकृत किया गया। राजस्व अधिकारियों का यह कर्तव्य था कि कजोड़ के हक में गैर–खातेदारी से खातेदारी का इन्द्राज करते तथा 10 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर स्वतः खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। राजस्व अधिकारियों की लापरवाही के लिए वादी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थीगण निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं एवं नियमन आदेश आज दिनांक तक बहाल है। अपीलार्थीगण द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2029–32, आवंटन आदेश खसरा गिरदावरी सम्वत् 2042–45, पर्चा सेटलमेन्ट, नकल नामान्तकरण, नक्शा ट्रेस आदि दस्तावेज पेश कर रखे हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों को उनके समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन, परिशीलन एवं विवेचन करते हुये विधि अनुसार निष्कर्ष दिया जाना चाहिये था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। अतः दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे।

5– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये बहस में कहा कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय में ऐसी कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की गयी है कि द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित हो। अपीलार्थीगण के पिता कजोड़ को आवंटन वर्ष 1978 में होने बाद उन्हें गैर खातेदारी से खातेदारी क्यों नहीं मिली तथा उनके द्वारा नवीन रिकॉर्ड पेश नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आज मौके व रिकॉर्ड की क्या स्थिति है। प्रस्तुत मिलान क्षैत्रफल, नक्शा ट्रेस आदि राजस्व रिकॉर्ड से दावा कतई साबित नहीं है। नामान्तकरण संख्या 25 पर ही वादी कजोड़ का कब्जा काश्त न होना तथा इसके कारण रिकॉर्ड में अमल न हो सकने का नोट अंकित है। भू–प्रबन्ध अधिकारी ने वादग्रस्त भूमि पर कजोड़ का कब्जा नहीं होने के कारण ही उनका अमल दरामद नहीं हुआ है। दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं और जब तक आलोच्य निर्णय में विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं हो, अपील द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

6– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों के साथ रिकोर्ड का गहनता से अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7– अपीलार्थीगण के मौरूस वादी कजोड़ द्वारा विचारण न्यायालय में उसे विवादित भूमि नियमित की जाने, नियमन आदेश की पालना में नामान्तकरण भी स्वीकृत किया जाने, तत्समय तहसील में सेटलमेंट कार्य चलने के कारण स्वीकृत नामान्तकरण के आधार पर उसे पर्चा जारी न होकर रिकॉर्ड में

अमल दरामद न होना उल्लेखित करते हुये साबिक खसरा नम्बर 125 व 128 कुल रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा के लिए स्वयं को खातेदार घोषित करने की रिलीफ चाही गई है। प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य प्रदर्श–1 उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा कजोड़ के पक्ष में दिनांक 22–2–1979 को जारी आवंटन/नियमन आदेश है जिसमें आवंटन की दिनांक 17–11–1978 उल्लेखित है। अगर अपीलार्थीगण कजोड़ को दिनांक 17–11–1978 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा खसरा नम्बर 125 व 128 कुल रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा नियमित किया जाना बताते हैं तो आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त भूमि नियमित किये जाने की स्वीकृति/निर्णय बाबत दावे में कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रदर्श–4 नामान्तकरण संख्या 25 कजोड़ को गैर खातेदारी देने बाबत स्वीकृत किया गया है, लेकिन इस स्वीकृत नामान्तकरण पर कजोड़ का कब्जा न होने के कारण इसका अमल दरामद न हो सकने का स्पष्ट नोट अंकित है। दावे में प्रस्तुत मिलान क्षैत्रफल दस्तावेज से नियमित की गई भूमि व रकबे बाबत स्थिति तथा इसके नये नम्बर व रकबे के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं होती है। स्वयं वादी द्वारा भी वादपत्र में यह नहीं बताया गया है कि आवंटित भूमि के नये नम्बर व रकबा क्या बना तथा सेटलमेंट पश्चात यह भूमि रिकॉर्ड में कैसे दर्ज हुई। नामान्तकरण व मिलान क्षैत्रफल दोनों में ही बटा नम्बरों का उल्लेख है तथा वादी द्वारा उसे आवंटित नम्बरों का नक्शा ट्रेस प्रस्तुत न किया जाने से यह स्थिति भी स्पष्ट नहीं होती कि उसे किस नम्बर में कहॉ व कितनी भूमि नियमित हुई थी। विचारण न्यायालय तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रस्तुत साक्ष्यों से अपीलार्थीगण/वादी का पक्ष साबित न होने के विवेचन के साथ उनके पक्ष को अस्वीकार किया गया है। वादी पक्ष को अपने दावे को साक्ष्यों के आधार पर स्वयं द्वारा ही साबित किया जाना अपेक्षित है, इसलिए हमारा सुविचारित मत है कि दोनों मातहत न्यायालयों द्वारा उचित, तथ्यपरक एवं विधिसम्मत निर्णयों द्वारा दावे एवं अपील का निस्तारण किया गया है। हम दोनों निर्णयों में कोई हस्तक्षेप त्रुटि होना नहीं मानते हैं, अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज योग्य है।

8– विवेचन अनुसार प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होकर खारिज की जाती है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक एवं उपखण्ड अधिकारी उनियारा के निर्णय एवं डिक्री क्रमशः दिनांक 18–8–2005 एवं दिनांक 30–10–2002 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य